राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरीलाल बनाम केसर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 राकुड़ा 7 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 270 रकबा 6 बीघा जमीला बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/1 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी घासी एवं जीवण की खातेदारी की आराजी है जीवण लाऔलाद बिना औरत फोत हुए है इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी का एकमात्र खातेदार काश्तकार घासी हुआ। घासी के पाचपुत्र हुए कमशः काना, रामसुखा, रामनाथ, छोटया, भूरा वादी छोटया का पुत्र है। विवादग्रस्त आराजी एकीकरण के राजस्व रिकार्ड के अनुसार काना, रामसुखा, रामनाथ, छोटया व भूरा पिसरान घासी की खातेदारी में दर्ज थी। घासी की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त आराजी में उसके उत्तराधिकारी पांचो पुत्रो के बराबर-बराबर हिस्सा निहित था लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कारकुनानो से साजकर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड के विपरित गलत दर्ज करा लिया जबकि ग्राम विराजपुरा की आराजी में राजस्व कर्मचारियो ने जीवण का नामान्तकरण काना के 1/3 हिस्से का दर्ज कर दिया जबकि काना घासी का पुत्र है ना कि जीवण का। जीवण के कोई संतान नही थी वह लाऔलाद फोत हुआ है। उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई गलती से पक्षकारो के मध्य तनाजा उत्पन्न हो गया है और वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर वादी को उसके कब्जेशुदा 1/5 हिस्से की खातेदारी की आराजी से राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरीलाल बनाम केसर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/2021		

महरूम व बेदखल कर देना चाहते है। दिनांक 25.06.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मौके पर आये और वादी से तनाजा उत्पन्न किया उक्त वाक्या की वजह से वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 270 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/1 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में अपना हिस्सा 1/5 घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये एवं प्रतिवादीगण को काफी अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब वाद प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब वाद बन्द किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05/04/2018 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय दिनांक 26/07/2018 पारित किया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों का मनन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी द्वारा यह अपील लम्बी अवधि डिले से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी है एवं 2 वर्ष 06 माह से अधिक के डिले को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित किये गये है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरीलाल बनाम केसर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/2021	(3)	

होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होने से स्वीकार किये जाने योग्य जाहिर नही होते है | इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/04/2018 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2018 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन जाहिर होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर